

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में

1. संयुक्त श्रम आयुक्त (एन0सी0आर0), गुरुग्राम।
2. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मुख्यलाय।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, गुरुग्राम, पानीपत व फरीदाबाद।
6. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
7. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
8. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
9. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
10. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (केमिकल), हरियाणा राज्य।
11. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
12. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
13. कल्याण अधिकारी (महिला), पानीपत व फरीदाबाद।
14. लेखा अधिकारी, मुख्यालय।

क्रमांक: स्था0/01/2023/ 22291-410

दिनांक: 22/08/23

विषय:- दिनांक 17.09.2023 को राजकीय श्रमिक दिवस के आयोजन बारे।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. विषयोक्त मामले में सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा दिनांक 17.09.2023 को राजकीय श्रमिक दिवस का आयोजन फरीदाबाद में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के कार्य आबंटित किये गये हैं, परन्तु ध्यान में आया है कि विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अनावश्यक रूप से अवकाश अनुमोदित करवा रहे हैं ताकि उपर्युक्त आयोजन के कार्यों से बच सकें।

अतः सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे किसी भी अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी को दिनांक 17.09.2023 तक किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न करें ताकि राजकीय श्रमिक दिवस का सफल आयोजन किया जा सके।

कृपया इसे परम अग्रता दें।

अधीक्षक (स्था0)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।